तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 25/2024**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
08.7.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी शैलेष देवासी पुत्र गोकलाराम देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भगवती जनरल स्टोर, मैन मार्केट, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत द्वारा दिनांक 18.1.2023 को फर्म भगवती जनरल स्टोर, मैन मार्केट, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी शैलेष देवासी पुत्र गोकलाराम देवासी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पान मसाला (विमल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1985 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./117/Act/2023/160 दिनांक 01.2.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी इस न्यायालय में उपस्थित हुआ। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 28.6.2024 को प्रतिवादी शैलेष देवासी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को दिनांक 28.6.2024 को ही सुना गया, जिसने यह व्यक्त किया कि यह उसका प्रथम अपराध है व भविष्य में मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय नही करेगा। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 18.01.2023 को फर्म भगवती जनरल स्टोर, मैन मार्केट, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान फर्म भगवती जनरल स्टोर, मैन मार्केट, कालन्द्री की दुकान में आम जन के बिक्री हेतु एक कट्टे में रखे हुये खाद्य पदार्थ पान मसाला (विमल ब्राण्ड) के 70 पैक्ड पाउचों में मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ पान मसाला (विमल ब्राण्ड) के 2 किलोग्राम पैक्ड पाउचों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय किये एवं खदीदशुदा पान मसाला (विमल ब्राण्ड) के चार भाग करके चार पैकेट बनाये एवं श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने [illegible] कर इन लेबलों पर .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:15:58 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 25/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	प्रतिवादी विक्रेता शैलेष देवासी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा उक्त चारों नमूना भागों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाकर चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् चारों सीलबन्द नमूनों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता शैलेष देवासी एवं गवाह तथा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 19.01.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 18.1.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म भगवती किराणा स्टोर, मैन मार्केट, कालन्द्री में प्रतिवादी शैलेष देवासी से खाद्य पदार्थ पान मसाला (विमल ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पान मसाला (विमल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1985 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./117/Act/2023/160 दिनांक 01.2.2023 में खाद्य पदार्थ पान मसाला (विमल ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी शैलेष देवासी ने उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (विमल ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी शैलेष देवासी पुत्र गोकलाराम देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भगवती जनरल स्टोर, मैन मार्केट, कालन्द्री, व जिला– सिरोही द्वारा ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:15:58 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 25/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ पान मसाला (विमल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **<u>आदेश</u>** अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी रतनलाल, अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप (misbranded) खाद्य पदार्थ पान मसाला (विमल ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी शैलेष देवासी पुत्र गोकलाराम देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म भगवती जनरल स्टोर, मैन मार्केट, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 40,000/– (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी शैलेष देवासी पुत्र गोकलाराम देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म भगवती जनरल स्टोर, मैन मार्केट, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 10.8.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:15:58 IST
Reason: SelfAttested